

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक एफ-4(ई)नि.प./ (493/90) अलेसे-III/ 12547-12558

दिनांक: 28/2/2014

आदेश संख्या 394/ 2013-14

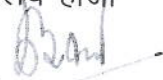
श्री मुकेश चन्द गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार (निलम्बित) के विरुद्ध प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर में मेडिकेयर रिलीफ सोसाईटी में गबन प्रकरण में विभागीय आदेश क्रमांक 21451-455 दिनांक 24.11.2005 के द्वारा निलम्बित किया गया था। तत्पश्चात् पुलिस थाना कोतवाली (अलवर) ने अपराध संख्या 26/2006 अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 409 में दर्ज होने के कारण विभागीय पत्र क्रमांक 33055-58 दिनांक 29.03.2007 के द्वारा सक्षम न्यायालय में अभियोग चलाने हेतु अभियोजन स्वीकृति जारी की गई थी। 3 वर्ष से अधिक अवधि तक निलम्बित प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा निलम्बन से बहाली की समीक्षा के सम्बन्ध में गठित कमेटी की मीटिंग दिनांक 31.01.2014 को शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें श्री मुकेश चन्द गुप्ता को निलम्बन से बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प-2(3) वित्त/ राजस्व/ 14 जयपुर दिनांक 11.2.2014 से प्राप्त कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार श्री मुकेश चन्द गुप्ता, निलम्बित क0लेखाकार को विचाराधीन विभागीय जाँच/ न्यायालय प्रकरण को लम्बित रखते हुए उपस्थिति देने की तिथि से बहाल किया जाता है तथा निलम्बन से बहाली पर इनका पदस्थापन उपकोष, भीनमाल (जालौर) में किया जाता है। निलम्बन अवधि का निर्णय विभागीय जाँच/ न्यायालय प्रकरण में होने वाले निर्णय के पश्चात् तदनुसार किया जावेगा।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक एफ-4(ई)नि.प./ (493/90) अलेसे-III/ 12547-12558 दिनांक: 28/2/2014
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर उनके कार्यवाही विवरण क्रमांक प2(3) वित्त/राजस्व/ 2014 दिनांक 11.02.2014 के क्रम में।
2. जिला कलक्टर, अलवर
3. संयुक्त निदेशक (जाँच) को उनके यू.ओ.नोट क्रमांक 1110-1113 दिनांक 17.2.2014 के क्रम में।
4. कोषाधिकारी, जालौर
5. उपकोषाधिकारी, उपकोष, भीनमाल (जालौर)
6. उपनिदेशक(कम्प्यूटर) कम्प्यूटर अनुभाग, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. श्री मुकेश चन्द गुप्ता, क0लेखाकार(निलम्बित) मुख्यालय जिला कलक्टर, अलवर
8. निजी राहायक, निदेशक महोदय
9. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली/ श्री महेन्द्र गोयल, लेखाकार कार्यालय हाजा


(महेन्द्र सिंह भूकर)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)